लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अंतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, १५ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-३० म० पू०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे दूसरी पंचवर्षीय योजना पर योजना आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति संसद् को पेश करने तथा इसे सभा-पटल पर रखने का सौभाग्य है । [**पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस---१७७/५६**]

यह एक तरह से भारी भरकम रिपोर्ट है । इसके दो हिस्से हैं; दूसरे हिस्से का सम्बन्ध परियोजनाओं के विस्तार से है जबकि पहले हिस्से में मोटे तौर से दृष्टिकोण, नीतियां तथा अन्य समस्यायें जैसे औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी आदि दी गई हैं । इसका प्रारूप कुछ समय पूर्व परिचालित किया गया तथा उस पर प्राप्त आलोचना आदि पर विचार करने के बाद इसे फिलहाल अन्तिम रूप दिया गया है । मैं समझता हूं कि सदस्यों को इसका सारांश दिया जायेगा । तथा इसकी एक पूर्ण प्रति नोटिस आफिस में भी उपलब्ध होगी । सारांश की छपी प्रतियां जल्दी ही जारी की जायेंगी । सारी रिपोर्ट का देशीय भाषाओं में भी अनुवाद होगा । इस में कुछ समय लगेगा । इसके सारांश भी विभिन्न भाषाओं में छापे जायेंगे ।

प्रारूप का हिन्दी अनुवाद आज परिचालित किया जा रहा है । यह स्पष्ट है कि यह कुछ पुराना पड गया है । परन्तु चूंकि इस में कई ऐसी बातें दी गई हैं जोकि वर्तमान रिपोर्ट में मौजूद हैं, इसलिये हम इसे परिचलित कर रहे हैं । परन्तु दूसरा हिन्दी संस्करण तथा अन्य संस्करण जल्दी ही तैयार होंगे । योजना के अलग-अलग पहलुओं पर भी पुस्तिकायें प्रकाशित करने का विचार है । इस तरह से हर भाग अलग-अलग छपेगा । १९५६ तथा १९५७ के विकास कार्यक्रम पर एक प्रतिवेदन प्रकाशित करने का तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विकास परियोजनाओं पर एक पुस्तक प्रकाशित करने का

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

विचार है । 'बिल्डिंग आफ न्यू इंडिया' नामी पुस्तक का एक नया संस्करण भी प्रकाशित किया जा रहा है ।

मुझे पता चला है कि कार्य-मंत्रणा समिति ने फैसला किया है तथा सभा ने इसका अनुमोदन किया है कि सभा के सदस्यों की चार समितियां बनाई जायें जोकि चार वर्गों में बटे विषयों पर विचार करेंगी । यह समितियां आज से ही काम शुरू करेंगी । मुझे यह भी पता चला है कि इन समितियों के सभापति आज योजना मंत्री से मिल रहे हैं ताकि प्रक्रिया के सम्बन्ध में निश्चय किया जा सके । मैं समझता हूं इस महीने की २३ को सभा में इस पर चर्चा होगी ।

सदस्यों को याद होगा कि आज साढ़े तीन वर्ष पहले मैंने इस सभा को प्रथम पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में योजना आयोग की रिपोर्ट पेश की थी । वास्तव में वह उस समय प्रस्तुत की गई थी जब कि योजना को चालू किये गये डेढ़ वर्ष बीत चुका था । इस समय हमने इसमें कुछ सुधार किया तथा हम योजना के चालू होने के केवल पांच सप्ताह बाद इसे प्रस्तुत कर रहे हैं । योजना की क्रियान्विति, वास्तव में, किसी एक विशिष्ट दिनांक से शुरू नहीं होती है । आयोजन तथा योजना की क्रियान्विति एक सतत प्रक्रिया है । यह चलती रहती है तथा किसी विशेष दिन को बंद नहीं होती है । परन्तु आगणन, लक्ष्य, वित्त-व्यवस्था आदि के लिये हमें एक समय-सारिणी रखनी है ।

रिपोर्ट पढ़ने से माननीय सदस्यों को पता चलेगा कि इसमें 'लचीलेपन' पर जोर दिया गया है । अर्थात् सभा इस पर विचार करेगी तथा अनुमोदन प्राप्त होने पर यह क्रियान्वित की जायेगी; इसमें कोई जकड़बन्दी नहीं है । इस पर समय-समय पर विचार किया जायगा । तथा परिस्थितियों को देखते हुए तथा प्राप्त अनुभव के आधार पर इसमें परिवर्तन भी किया जायगा । तो यद्यपि हमारी यह पंचवर्षीय योजना है, इस पर प्रति वर्ष विचार होगा तथा जहां आवश्यक हो, वहां इसमें फेर-बदल किया जायगा । इसी प्रकार पंचवर्षीय योजना एक तरह से लम्बी योजना है तथा हमें इसे वार्षिक योजनाओं में बांटना होगा । दूसरी ओर यह आयोजन के लिये कम समय है । हमें अनुदर्शनिक आयोजन पर विचार करना होगा अर्थात् १५ अथवा २० वर्ष के लिये एक तसवीर को ध्यान में रखना होगा और पंचवर्षीय योजनायें बनाते समय उस पर दृष्टि रखनी होगी क्योंकि हमारी कई बातों में वर्षों लगेंगे । इसके अलावा जब तक कि हमारे समाजी ढांचे की तसवीर हमारे सामने नहीं होगी हमारे लिये एक-एक कदम उठाना मुश्किल होगा । हमारे पास वह तसवीर होनी चाहिये । वह तसवीर कोई ऐसी तसवीर न होनी चाहिये कि उसमें हेर-फेर की गुजाइश न हो । किन्तु अनुदर्शनिक आयोजन का होना आवश्यक है ।

मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं । परन्तु यदि मैं रिपोर्ट की भूमिका के कुछ हिस्सों को पढ़ूं तो वह उपयोगी सिद्ध हो सकता है । इसमें संक्षिप्त रूप से वह प्रक्रम दिये गये हैं जिन से होकर यह गुजरी है :

"योजना के प्रारूप पर राष्ट्रीय विकास परिषद् ने विचार किया तथा २ मई, १९५६ को निम्नलिखित संकल्प पास किया :

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् योजना के लक्ष्यों, पूरवर्तिताओं तथा कार्यक्रमों को स्वीकार करती है तथा इसका अनुमोदन करती है; जनता के उत्साह तथा सहायता पर निर्भर रह कर;

केन्द्रीय सरकार तथा भारत की सभी राज्य सरकारों के इस सामान्य निश्चय का अनुसमर्थन करती है कि योजना को क्रियान्वित किया जाये तथा इस में दिये लक्ष्यों को बढ़ाया जाये; तथा भारत के सभी नागरिकों को आह्वान देती है कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिये गये उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति के लिये दिलोजान से काम करें ।

पंचवर्षीय योजना का आदि और अन्त किसी देश के इतिहास के लिये महत्वपूर्ण दिनांक है। इससे पूर्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया जाता है तथा भविष्य के लिये निश्चय किये जाते हैं। इस के द्वारा लाखों-करोड़ों व्यक्तियों की भावनाओं तथा महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप देने का विचार है।

पहली पंचवर्षीय योजना १९५६ में समाप्त हुई। इसने समाजवादी समाज की प्राप्ति के लिये नींव डाली है। यह सामाजिक तथा आर्थिक ढांचा बिना किसी भेद-भाव के स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र पर आधारित होगा जिस में रोजगार तथा उत्पादन में वृद्धि होगी तथा सामाजिक न्याय अधिकतम मात्रा में उपलब्ध होगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये काम पिछले दो वर्षों से चल रहा है। १९५४ में योजना आयोग ने राज्य सरकारों से प्रार्थना की कि वह अपनी जिला तथा ग्राम योजनायें विशेषकर कृषि-उत्पादन, ग्राम-उद्योग तथा सहकारिता के सम्बन्ध में तैयार करें। ऐसी परियोजनाओं को बनाने का काम हाथ में लिया गया। क्योंकि यह महसूस किया गया कि जिन क्षेत्रों का सम्बन्ध जनकल्याण से है वहां जनता का सहयोग ज्यादा से ज्यादा हासिल करना आवश्यक है। यद्यपि ग्रामों तथा जिलों की योजनाओं को राज्यों की योजनाओं में ढालना है फिर भी आयोजन के सारे ढांचे में जिला ही मुख्य आधार है।

राष्ट्रीय आयोजन के बृहत् पहलुओं का अध्ययन भी १९५४ में शुरू हुआ। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय समंक संस्था की सहायता ली गई तथा कई दस्तावेज तैयार किये गये। मार्च १९५५ में इसके परिणाम प्रो० महालनोबिस की रिपोर्ट में तथा 'द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रयोगात्मक रूप रेखा' में दिये गये। इन दस्तावेजों पर अप्रैल १९५५ में अर्थ-शास्त्रियों की तालिका ने विचार किया जिन्होंने ने इस सम्बन्ध में कुछ ज्ञापन तैयार किये।

इन दस्तावेजों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् ने मई १९५५ में विचार किया। वह योजना के मूल-भूत दृष्टिकोण तथा नीति आदि से सहमत हुई। परिषद् इससे भी सहमत हुई कि पांच वर्ष की कालावधि में योजना की क्रियान्विति से राष्ट्रीय आय २५ प्रतिशत बढ़ जानी चाहिये तथा एक करोड़ से १ करोड़ २० लाख तक व्यक्तियों को रोजगार मिलना चाहिये। परिषद् ने यह भी निर्देश दिया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस तरह तैयार हो कि समाजवादी ढंग के समाज को कार्यरूप दिया जा सके।"

इसमें यह भी लिखा है :

"जनवरी १९५६ में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने तथा संसद् सदस्यों की सलाहकार समिति ने प्रारूप ज्ञापन पर विचार किया जोकि इन सभी चर्चाओं के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था। इस विचार विमर्श के परिणामस्वरूप योजना की रूपरेखा फरवरी १९५६ में जनमत के लिये प्रकाशित की गई, इस सम्बन्ध में जो सुझाव प्राप्त हुए उनको दृष्टि में रख कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया।"

गत वर्ष में योजना बनाने वालों पर कुछ बातों का प्रभाव पड़ा है। पंचवर्षीय योजना को एक लम्बी कालावधि के आर्थिक तथा सामाजिक अनुदर्शन में पुनरीक्षण करना होगा। इसे लचीलेपन से क्रियान्वित करना होगा जिससे कि वार्षिक योजनाओं द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए समायोजन किया जा सके। उद्योग, परिवहन, खनिज-पदार्थ तथा विद्युत्-शक्ति के क्षेत्रों में समन्वय कराना होगा जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। मुद्रा-स्फीति के दबाव को दृष्टि में रखते हुए कृषि-उत्पादन और बढ़ाना होगा। हर अवस्था में अनाज, कपड़ा तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की उचित दामों पर प्रदाय की व्यवस्था करनी होगी तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के कार्य संचालन पर सावधानी से ध्यान रखना होगा।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण करना चाहती है, औद्योगिक प्रगति के लिये नींव डालना चाहती है, जनता के पिछड़े हुए समुदाय के लिये अधिकाधिक अवसर प्रदान करना चाहती है तथा देश के समस्त भागों का संतुलित विकास करना चाहती है। यह काम तो कुछ कठिन है, किन्तु त्याग तथा तपस्या से हम यह प्राप्त कर सकेंगे।

यह योजना केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों में काम करने वाले बहुत सारे व्यक्तियों तथा नेताओं के परिश्रम का नतीजा है। सब तरह के लोगों ने इसे बनाने में अपना सहयोग दिया है। यह उत्साह तथा सहयोग इसकी सफलता के लिये एक अच्छा शकुन है।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

भारतीय विमान नियमों का संशोधन

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : मैं १९३४ के भारतीय विमान अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत १९३७ के भारतीय विमान नियमों में अग्रेतर संशोधन करने के लिये दिनांक १३ फरवरी १९५६ की एक अधिसूचना संख्या ए० आर०/१९३७ (९) तथा उसका एक व्याख्यात्मक टिप्पण लोक-सभा के पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एस–१७८/५६]**

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : जब कभी कोई मंत्री अपने पहले दिये हुए उत्तर को बाद में ठीक करता है तो हमें उसकी सूचना उस सभा में आने से कम से कम १५ मिनट पहले नोटिस आफिस से मिल जानी चाहिये क्योंकि कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं जिनके बारे में हमें स्पष्टीकरण आदि मांगना होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं विभिन्न मंत्रालयों से इस सम्बन्ध में परामर्श करूंगा।

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा से निम्नलिखित दो संदेश प्राप्त हुए हैं :

(१) कि राज्य-सभा ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समितियों में सम्मिलित होने के लिये लोक-सभा की सिफारिश से सहमति प्रकट की है और उसके लिये अपने सदस्यों के नाम भेजे हैं।

(२) कि लोक-सभा द्वारा ४ मई, १९५६ को पारित संसदीय प्रक्रिया (प्रकाशन रक्षा) विधेयक को राज्य-सभा ने ११ मई, १९५६ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

लोक-प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में और आगे संशोधन करने वाले तथा 'ग' राज्यों सम्बन्धी अधिनियम, १९५१ में कुछ आनुषंगिक परिवर्तन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में।